INDIA NON JUDICIAL

IN-UP31776722286328Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

SUMIT CHATURVEDI
ACC ID-UP14104004
MATHURA

Certificate No.	:	IN-UP31776722286328Y
Certificate Issued Date	:	26-Feb-2026 01:00 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1410400458988075262300Y
Purchased by	:	SATI JABDE PUBLIC HEALTH AND EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	MAUJA MEERPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	UDDESHY SHIKSHA PRASAR SAMITI
Second Party	:	SATI JABDE PUBLIC HEALTH AND EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Paid By	:	SATI JABDE PUBLIC HEALTH AND EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	35,000 (Thirty Five Thousand only)

सत्यमेव जयते

मूल विलेख
Scanned Total Pages 10

IN-UP31776722286328Y

Please write or type below this line

PF 0028324864

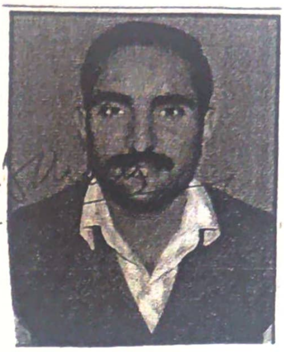

।। श्रीहरिः ।।

पट्टा म्यादी – 12 साल

किराया–3,50,000/–रूपये प्रति वर्ष

विकास शुल्क क्षेत्र के बाहर होने के कारण स्टाम्प देय–35,000/–रु.

क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा

कोड नं0–

हम कि उद्देश्य शिक्षा प्रसार समिति मीरपुर परखम तहसील व जिला मथुरा PAN-AAAAU9871E द्वारा प्रबन्धक मिहीलाल उर्फ महिपाल सिंह पुत्र श्री भूप सिंह निवासी–परखम, तहसील व जिला मथुरा मो0–7017096287 पट्टादाता प्रथम पक्ष व सती जाबदे पब्लिक हेल्थ एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट PAN-AAKTS3433P द्वारा अधिकृत धर्मवीर शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद राय शर्मा निवासी–मकान नं0–835 वार्ड नं0–35 निकट रोहिल्ला स्कूल, जनता कालौनी, रोहतक हरियाणा मो0–9466674832 पट्टागृहीता द्वितीय पक्ष के हैं।

जो कि एक किता भवन क्षेत्रफल 1270 वर्गमीटर जो दो मंजिला बना है व खाली जमीन है, जिसकी सीमा यह है-पूरब-सडक पश्चि-हार मंडी उत्तर-जमीन रोहन पुत्र बाबूलाल दक्षिण-जमीन कुमरपाल पुत्र विजय सिंह स्थित-मौजा मीरपुर तहसील व जिला मथुरा जो खसरा नं0-179मि0 की भूमि में स्थित है, मिल्कियत प्रथम पक्ष की है जिस पर प्रथम पक्ष का ही वास्तविक मालिकाना कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम सरकारी कागजात आदि में दर्ज है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चले आते है। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त सम्पत्ति का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है और हर प्रकार से प्रथम पक्ष की पाक साफ सम्पत्ति है और प्रथम पक्ष को उक्त सम्पत्ति की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण व पट्टा आदि करने के पूरे अधिकार प्राप्त है और कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो प्रथम पक्ष को उक्त सम्पत्ति को हस्तान्तरण व पट्टा आदि करने में बाधा या रुकाबट डाल सके। उक्त सम्पत्ति से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ नहीं है। द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति की आवश्यकता है। उक्त भवन दो मंजिल में विधालय/शिक्षण संस्थान हेतु कमरे व लैट्रिन व स्टाफ कमरे, व पुस्तकालय प्रयोगशाला आदि बने है व खुला खेल का मैदान है, उक्त सम्पत्ति को मय भवन व खाली जमीन के साथ मय भू रुपान्तरण व भवन का सम्बन्धित सरकारी विभागों से अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र व वर्षा जल संचयन प्रमाण पत्र व भवन नक्शा स्वीकृत है व बिजली पानी का उपयोग करने के लिये उक्त सम्पत्ति पट्टे पर दे रहे है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को पट्टे पर दे देना तय किया है। उक्त समिति की बैठक दिनांक 25.11.2025 के प्रस्ताव सं0-01 के द्वारा प्रबन्धक महीपाल सिंह को उक्त भवन व जमीन का पट्टा करने को अधिकृत किया है। द्वितीय पक्ष को भी उक्त सम्पत्ति की आवश्यकता है यानि 12 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर लेने के लिए तैयार है, उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को पट्टे पर देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है और द्वितीय पक्ष भी एक शिक्षा प्रसार की संस्था है और उक्त सम्पत्ति पर शिक्षा के विस्तार व विधालय चलाने हेतु आवश्यकता है और द्वितीय पक्ष उक्त भवन व खाली जमीन की 12 साल के लिये पट्टे पर लेना तय किया है और ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05.10.2025 के प्रस्ताव सं0-01 के द्वारा उक्त कार्यवाही करने के लिये धर्मवीर शर्मा को अधिकृत किया गया है।

अतः प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, को द्वितीय पक्ष को किराया 3,50,000/-रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टे पर देना तय किया है और द्वितीय पक्ष भी उक्त सम्पत्ति को 12 साल की अवधि के लिए मय भवन व खाली जमीन खेल का मैदान मय भू रुपान्तरण व भवन का सम्बन्धित सरकारी विभागों से अग्नि जल जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र व वर्षा जल संचयन प्रमाण पत्र व भवन नक्शा स्वीकृत कराकर व बिजली पानी का उपयोग करने सहित प्रमि पक्ष यह पट्टा द्वितीय पक्ष के हक में कर रहे है और द्वितीय पक्ष नीचे लिखी शर्तो के अनुसार पट्टे पर लेने को तैयार है और प्रथम पक्ष देने को तैयार है। अतः उक्त सम्पत्ति को प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के हक में निम्नलिखित शर्तो के अनुसार पट्टे पर दे रहा है, जिनकी पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके उत्तराधिकारी व पदाधिकारी व स्थानापन्नों पर होगी।

1. यह कि पट्टादाता प्रथम पक्ष ने पट्टेदार द्वितीय पक्ष को 12 वर्ष की अवधि हेतु यानि दिनांक 01.03.2026 से 12 वर्ष तक यानि दिनांक 28.02.2038 तक के लिये वर्णित सम्पत्ति को पट्टे पर दिया है और पट्टादार ने उक्त 12 वर्ष की अवधि के लिए लेना स्वीकार किया है, जिसके हम दोनों पक्षकारगण व उनके कायम मुकामान वारिसान व स्थानापन्न सदैव पाबन्द रहेंगे।

2. यह कि भाडा 3,50,000/-रूपये प्रति वर्ष तय हुआ है। जिसको द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अदा कर रसीद प्राप्त करता रहेगा तथा भूभाडे में भविष्य में कोई कमी वेशी नहीं की जायेगी और किसी भी सूरत में पट्टादाता प्रथमपक्ष अथवा उसके स्थानापन्न पट्टेदार या वारिसान पट्टेदार को अथवा उसके स्थानापन्न को पट्टेदार इस प्रलेख की शर्तो का पालन किये जाते रहने व बदस्तूर किराया अदा किये जाने की दशा में उक्त अवधि 12 साल तक बेदखल न कर सकेंगे।

3. यह कि पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष ने, द्वितीय पक्ष का बहैसियत पट्टेदार कब्ज़ा करा दिया और द्वितीय पक्ष ने बहैसियत पट्टेदार कब्ज़ा प्राप्त कर लिया है। द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह पट्टे पर ली गयी सम्पत्ति को विधालय संचालन हेतु प्रयोग में लावें व अपनी सुविधानुसार निर्माण आदि करे व पट्टा अवधि में उक्त सम्पत्ति पर आयद समस्त देय टैक्स व बिल आदि को अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी किन्तु किसी भी दशा में पट्टेदार उक्त सम्पत्ति में कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति पर बहैसियत पट्टेदार काबिज होकर अपने प्रयोग में लावे व जो चाहे सो करे व द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि उपरोक्त भूमि पर नल कनैकशन आदि लगवायें व बिजली का कनैक्शन ले तथा पट्टा अवधि में उक्त विधुत कनैक्शन आदि से सम्बन्धित देय टैक्स व बिल आदि को अदा करे ।

5. यह कि अगर कभी कोई व्यक्ति पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति की बाबत दावा या झगडा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्ज़ा द्वितीय पक्ष से निकल जावे तो प्रथम पक्ष की ऐसी दशा में हर प्रकार से पूरी जिम्मेदारी होगी।

6. यह कि यह पट्टा प्रलेख सिर्फ 12 वर्षो की म्याद के लिये ही यानि दिनांक 01.03.2026 से 12 वर्ष तक यानि दिनांक 28.02.2038 तक की म्याद के लिये ही लिखा जा रहा है। उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर द्वितीय पक्ष ने उक्त भवन में जो भी धन लगाया है या पट्टे से पूर्व भवन में जो धनराशि से निर्माण आदि कराया है वह पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भवन व जमीन से द्वितीय पक्ष अपना कब्ज़ा हटा लेगा तथा भवन में लगी लागत धनराशि की बाबत कोई क्लेम नहीं करेगा तथा भवन व खाली जमीन में कोई अधिकार किसी भी प्रकार का नहीं होगा न रहेगा। यह पट्टा विलेख सभी पंच पंचान बिरादरी व न्यायालय आदि में भी मान्य होगा।

7. यह कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से पट्टा निरस्त करना चाहें तो म्याद से पूर्व पट्टा निरस्त करा सकते है या पट्टे की अवधि आवश्यकतानुसार बढा सकेंगें जिसका पंजीकरण अलग से कराना अनिवार्य होगा।

8. यह कि उक्त म्याद पूर्ण होने के उपरान्त यह पट्टा विलेख स्वतः ही निरस्त अमान्य व शून्य हो जायेगा और द्वितीय पक्ष अपना कब्ज़ा हटाकर उक्त सम्पत्ति भवन व भूमि यथा स्थिति में प्रथम पक्ष के सुपुर्द कर देंगें।

9. यह कि इस प्रलेख पट्टा का समस्त खर्चा स्टाम्प फीस आदि द्वितीयपक्ष ने वहन किया है।

अतः यह पट्टा म्यादी 12 साल दोनों पक्षों ने अपनी राजीखुशी से लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनो पक्षो के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हे पढ़ा व सुनाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

PRASHANT SHARMA
Advocate
(UP02/07/0...)

दिनांक	:	26.02.2026
टाईप किया	:	दीपक
ड्राफ्ट किया	:	प्रशान्त शर्मा एडवोकेट, मथुरा

गवाह–हेमन्त पुत्र सत्यपाल सिंह
नि0–परखम मथुरा मो0–7668214790

हेमन्त

गवाह–पराग शर्मा पुत्र रमेशचन्द शर्मा
नि0–गुरूग्राम हरियाणा मो0–9017545300

Parag Sharma

पृष्ठ |विलेख 58,59

आवेदन सं०: 202600764012511

बही स०: 1 | रजिस्ट्रेशन स०: 5099 | वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री उद्देश्य शिक्षा प्रसार समिति मथुरा के द्वारा महिपाल सिंह , |UDDESHY SHIKSHA PRASAR SAMITI

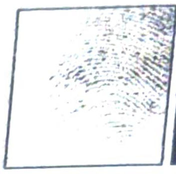

पुत्र श्री भूप सिंह

निवासी: परखम मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 871E

पट्टा गृहीता: 1

श्री सती जाबदे पब्लिक हेल्थ एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट के द्वारा धर्मवीर शर्मा , |SATI JABDE PUBLIC HEALTH & EDUCATIONAL TRUST

पुत्र श्री प्रहलाद राय शर्मा

निवासी: मकान नं० 835 वार्ड नं० 35 निकट रोहिल्ला स्कूल जनता कालौनी रोहतक हरियाणा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 433P

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हेमन्त , पुत्र श्री सत्यपाल सिंह

निवासी: परखम मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री पराग शर्मा , पुत्र श्री रमेशचन्द्र शर्मा

निवासी: गुरुग्राम हरि०

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत: भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

प्रधारमण प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
26/02/2026

अमर सिंह ,
निबंधक लिपिक मथुरा
26/02/2026

पुष्ठ विलेख 60

https://igrsup.gov.in/igrsup/show...

आवेदन सं०: 20260076

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14912 के पृष्ठ 45 से 58 तक क्रमांक 5099 पर दिनाँक 26/02/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस

राधारमण प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
26/02/2026